के आधार पर काबिल स्वीकार होने ...

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उडुसरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2025

अनवान :

रोहताश कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
2. राकेश कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
3. यशोदा कुमार पुत्री मनोहर पत्नी किशोर कुमार निवासी डुंगराना तहसील भादरा हाल श्रीकरनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. विनोद कुमार पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रामभूर्ति ताखर : वादी

वकील पारूल यादव : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

वकील योगेश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 5**

दिनांक : 23.08.2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 571/487 के ख0सं0 518/2 की 2.5550 है0 तथा ख0सं0 536/2 की 1.3910 है0 कुल खसरे 2 की 3.9460 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 559/1973 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा सुरजाराम की खातेदारी हुआ करती थी जो सुरजाराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 जरिये वकील हाजिर आये व जवाब पेश करना नहीं चाहते जवाब बंद किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रोहताश कुमार पुत्र मनोहरल[illegible] निवासी डुंगराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। द[illegible] मौजा डुंगराना जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 571/48[illegible] [illegible]राना जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 487/451 प्रदर्श 2. शपथ[illegible] रोहताश पुत्र मनोहरलाल प्रदर्श 3 तथा सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डूंगराना प्रदर्श 4 [illegible]र्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डुंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 571/487 के ख0सं0 518/2 की 2.5550 है0 तथा ख0सं0 536/2 की 1.3910 है0 कुल खसरे 2 की 3.9460 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 559/1973 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल का अकेले की बजाय वादी रोहताश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल प्रतिवादी संख्या 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 571/487 के ख0सं0 518/2 की 2.5550 है0 तथा ख0सं0 536/2 की 1.3910 है0 कुल खसरे 2 की 3.9460 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 559/1973 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल अकेले की बजाय वादी रोहताश कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल तथा प्रतिवादी संख्या 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:49 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2025

अनवान :

रोहताश कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
2. राकेश कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
3. यशोदा कुमार पुत्री मनोहर पत्नी किशोर कुमार निवासी डुंगराना तहसील भादरा हाल श्रीकरनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. विनोद कुमार पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राममूर्ति ताखर एवं वकील प्रतिवादीगण पारूल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 571/487 के ख0सं0 518/2 की 2.5550 है0 तथा ख0सं0 536/2 की 1.3910 है0 कुल खसरे 2 की 3.9460 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 559/1973 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल अकेले की बजाय वादी रोहताश कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल तथा प्रतिवादी संख्या 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:49 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner